



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़
पीठासीन अधिकारी - त्रिलोक चन्द भीना आर.ए.एस.

ण संख्या 37/2019
री दिनांक : 05.04.2019

उनवान

- 1 शान्तीलाल पिता हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 2 मदनलाल पिता हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 3 शंकरलाल पिता हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 4 मु0 ठम्मा बेवा हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1 नाथू पिता ओका रेबारी निवासी अनवासा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 2 क्षेत्रीय वन अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 3 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. अप्रार्थी संख्या 2 क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।
4. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार माण्डलगढ़।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21.10.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की ग्राम गेणोली प.ह. गेणोली की सरहद में स्थित खाता संख्या 425 की आराजी संख्या 1190/952 रकबा 8 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ोसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काशत करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया तथा वक्त पत्थरगढ़ी उन्हें सूचित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काशतकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।




पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण अनगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गेणोली प.ह. गेणोली की सरहद में स्थित खाता संख्या 425 की आराजी संख्या 1190/952 रकबा 8 बीघा भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।


(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़